

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 03461/2022-2023

दिनांक 16/01/2023



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(आधिनियम संख्या 21, 1360 अधीन)

नवीनीकरण

संख्या: R/AGR/16763/2022-2023

पतावली संख्या: AG-57649 दिनांक: 2012-2013

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि सेंट गॉपल पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रैति, ग्राम-पो० श्यामो, तह० सदर, जिला-आगरा, आगरा, 283125 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या - 1739/2012-13 दिनांक-14/01/2013 को दिनांक-14/01/2023 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है। 1000 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(DILEEP KUMAR GUPTA)
413BB3E4C4EA5991347...B928CFEFC03BD7C25C5

Date: 16/01/2023 12:00:36 PM, Location: Agra.

जारी करने का दिनांक-16/01/2023

सोसाइटी रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

46AC 271314

सेट गोपाल पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति
 वरु वनरल स्टेशन रोड
 वीएम पोस्ट - धुमनाहल सागर
 जिला उन्नाव फाइल नं. 57649
 स्मृतिका के साथ संलग्न है।



[Signature]
 निबंधक
 सहकारी क.पालिका
 बाबरा रोड, बाबरा

गोपाल

८७८८६८९६५०

५७६८

१७-१५

दिनांक

आपका नाम

आपका पता

आपका पता

आपका पता

जे. ए. गोपाल पब्लिक स्कूल जमिनी भाग

(१०)

विशेष नाम

आ. सं-१६

आ. सं-३१ वर्ष

आ. सं-३० एवं विवर, आ. सं-

१७

९





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

06AE 149608

सदर वक्ता के रूप में सेन गोपाल प्रकाश स्कूल शिक्षा समिति /
 बिला आगरा का हल नं० 57649
संक्षेप निष्ठावली



7-1-2020
 वरिष्ठ सहायक
 कार्यालय उप निबंधक कार्यालय सोसाइटीज एवं चिट्ठे
 आगरा क्षेत्र, आगरा
 07/1/2020

07/1/2020

1784 07/01/2020
 102

4440
 10-2 00000 110000 10000 10000
 20000 20000

102
 102



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10

TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

46AC 271315

सेन्ट्रल गोपाल पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति,
उमरगांव - २ पामनेरुडली - सहर,
बिला आंगरु - काइन नं० - १२०
निपन्नावली के साथ संलग्न है।



for 
29/9/17
बाबरा रोड, बाबरा

4963

पृ० सं० _____ 17-4-44
 स्टाम्प कम करने का प्रयोजन _____
 स्टाम्प कम करने वाले का नाम _____
 पं क्रमांक _____
 स्टाम्प का मूल्य (०) _____

रंज गोपाल - 4964

दिनेश राम पुनर्वसि
 का० सं०-16
 का० वर्षा 31 मार्च
 का० सोसा एवं विरस, कावरा

संशोधित नियमावली

- 1-संस्था का नाम — सेन्ट गोपाल पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति,
- 2-संस्था का पता — ग्राम-पोस्ट श्यामों तहसील सदर जिला आगरा
- 3-संस्था का कार्यक्षेत्र — उ०प्र० ।
- 4-संस्था का उद्देश्य — स्मृति पत्र के अनुसार ।
- 5-संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग-

1. संरक्षक सदस्य -

जो सज्जन इस संस्था को 1000/-रुपये या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जायेगा ।

2. आजीवन सदस्य -

जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 500/-रुपया सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा ।

3. साधारण सदस्य -

जो सज्जन इस संस्था को प्रति वर्ष 250/-रुपया देगा वह सज्जन इस संस्था का साधारण सदस्य बनाया जायेगा

4. विशिष्ट सदस्य -

ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हो व जो विद्वान होंगे सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यो जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान एवं चंदा संस्था को स्वीकार होगा ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार न होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यो की संख्या 5 से अधिक न होगी ।

6-सदस्यता की समाप्ति-

1. मृत्यु होने पागल या दिवालिया होने पर ।
2. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
3. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थित होने पर ।
4. किसी सदस्य के विरुद्ध 2/3 बहुमत से अधिक मतों से अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर ।
5. त्यागपत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा के द्वारा पास होने पर ।
6. न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।
7. संस्था के अहित में कार्य करने पर ।

7-संस्था के अंग-

8-साधारण सदस्य-

1- साधारण सभा

2- प्रबन्धकारिणी समिति ।

गठन -

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यो को मिलाकर किया जायेगा ।

बैठक -

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी ।

सूचना अवधि -

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यो को 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जावेगी ।

सत्य प्रतिलिपि

07.11.2020

वरिष्ठ सहायक

कार्या. उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिस्से
आगरा क्षेत्र, आगरा

07/11/2020

गणपूर्ति -

गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन-

संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से तय कर ली जावेगी ।

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य -

1. प्रबन्धकारिणी समिति का समयसमय पर निर्वाचन सम्पन्न करवाना ।
2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना ।
3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करवाना ।

9-प्रबन्धकारिणी समिति-गठन -

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था के आम सभा के 2/3 बहुमत से सदस्यों को चुनकर किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/सचिव, एक उपप्रबन्धक/ उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष तथा शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे । सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती है । जो कम से कम 7 तथा अधिक से अधिक 15 होगी ।

बैठक -

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी ।

सूचना अवधि -

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जावेगी ।

गणपूर्ति -

गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

रिक्त स्थान की पूर्ति -

प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिए कर ली जावेगी

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य-

1. संस्था के उन्नति व विकास हेतु हर संभव प्रयास करना ।
2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।
3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कराना ।
4. संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों, एवं अन्य संस्थानों, प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चंदा, एवं बैंक आदि से ऋण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना । प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ एवं चैरिटेबिल कार्यों की पूर्ति हेतु व्यय करना ।

ल. कार्यकाल - प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा ।

सत्य प्रतिलिपि

07/01/2020

कार्यालय उप निबंधक कार्यालय सोसाइटीज एवं चिट्ठे
आगरा क्षेत्र, आगरा

07/01/2020

कमल

मान्ता देवी

मुकेश कुमार

रवि कुमार

10-पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य-

अध्यक्ष -

- 1- संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना ।
- 2- मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।
- 3- संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना व संस्था की आम देखभाल करना ।

उपाध्यक्ष-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यो को करना, सामान्य व विषम परिस्थितियों में उनका सहयोग करना ।

प्रबन्धक/सचिव -

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना मीटिंग कार्यवाही लिखना ।
2. संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार-प्रसार करना ।
3. संस्था की अचल-चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, क्रय-विक्रय करना, दान, अनुदान, चंदा व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना तथा समस्त दस्तावेजों, ऋण, अनुदान चैकों, ड्राफ्टों बंधक बिलेखों बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना । । संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।
5. संस्था के अन्तर्गत संचालित संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, एवं पदच्युत करना एवं उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना ।
6. संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हों करना ।

उपप्रबन्धक/उपसचिव-

संस्था के प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्यो को करना एवं उपस्थिति में कार्यो में सहयोग प्रदान करना ।

कोषाध्यक्ष-

- 1- संस्था के आय-व्यय विवरण को रखना ।
- 2- प्रबन्धक/सचिव द्वारा सौंपे गये कार्यो को करना ।

11. संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन परिवर्तन प्रक्रिया -

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

12. संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था -

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मान्यता प्राप्त बैंक अथवा डाकघर में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक/सचिव के एकाकी हस्ताक्षर अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जायेगा तथा साधारण सभा द्वारा नियमावली-प्रस्ताव पारित किया जायेगा ।

सत्य प्रतिलिपि

07.1.2020

वरिष्ठ सहायक

आयुक्त, आर.डी.ओ. एवं चिदस

आयुक्त क्षेत्र, आगरा

07-1-2020

दत्ताशंकर

कान्ता देवी

मुकेश कुमार शंकर कुमार

मुकेश कुमार

13. संस्था का लेखा परीक्षण (आडिट) -

संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य आडिटर अथवा चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा किया जायेगा ।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के निस्तारण की उत्तरदायित्व - संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के निस्तारण की कार्यवाही प्रबन्धक/सचिव अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी ।**15. संस्था के अभिलेख -**

- 1- सदस्यता रजिस्टर 2- कार्यवाही रजिस्टर 3- एजैण्डा रजिस्टर
4- स्टॉक रजिस्टर 5- कैश बुक आदि ।

16. संस्था के विघटन -

यदि दुर्भाग्यवश संस्था विघटित होती है तो विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसा0 रजि0 अधि0 की धारा 13 व 14 के अंतर्गत की जावेगी ।

दिनांक-

सत्यप्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि

@ 07-1-2020

वरिष्ठ सहायक

कार्या: उप निबंधक फार्म सोसाइटीज एवं चिट्स
भाग्य क्षेत्र, आगरा

07-1-2020

दर्पाक्षर

कान्ता देवी मुकेश कुमार रवि कुमार

AS 57649

06-1-2020
in the (Husul)
e



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AE 477803

यह जनरल स्टाम्प पेपर...
शिक्षा समिति
जिला... फाइल नं०...
के साथ संलग्न है
यश-धन समिति की सुन्नी वर्ष २०२५-२६



करिष्ठ सहायक
उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं बिट्स
आगरा
03/06/28

नं. 143

दिनांक 31/8/25

आम का मुद्रा

101

आ का नाम

सुन्दर मोफका पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति

सेवाओं कागज़

य का प्रमाण



आम विवरण-हरीशचन्द्र बहादुर
वाटिका नं. 101 प. 12. 81/8/25

24-25



संस्था का नाम - सेन्ट गोपाल पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति,
ग्राम-पोस्ट श्यामों तहसील सदर जिला आगरा

प्रबन्धसमिति के सदस्यों की सूची वर्ष 2025-2026

क्र.सं.	नाम	पिता/पति	पता	पद	व्यवसाय
1-	श्रीमती कान्ता देवी	श्री दयाशंकर	ग्राम-पोस्ट श्यामों तहसील सदर जिला आगरा ।	अध्यक्ष	गृहकार्य
2-	श्री शिवराम	श्री गौरीशंकर	नगला पदी, आगरा ।	उपाध्यक्ष	व्यापार
3-	श्री दयाशंकर	श्री जयन्त प्रसाद	ग्राम-पोस्ट श्यामों तहसील सदर जिला आगरा ।	प्रबन्धक /	व्यापार
4-	श्री मुरारीलाल	श्री गौरीशंकर	नगला पदी, आगरा ।	सचिव	
5-	श्री प्रवीन राजपूत	श्री दयाशंकर	ग्राम-पोस्ट श्यामों तहसील सदर जिला आगरा ।	उपप्रबन्धक /	व्यापार
6-	श्री मुकेश कुमार	श्री जसवन्त सिंह	ग्राम-पोस्ट श्यामों तहसील सदर जिला आगरा ।	उपसचिव	
7-	श्री रवि कुमार	श्री भगवान दास	ग्राम-पोस्ट श्यामों तहसील सदर जिला आगरा ।	कोषाध्यक्ष	स0सेवा
				सदस्य	व्यापार
				सदस्य	कृषि

कान्ता देवी मुरारी लाल राजपूत मुकेश कुमार Ravi Kumar

19/10/21/11

दया शंकर

Manager
St Gopal Public School
Shyamon, Agra

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

श्यामों उप निबंधक फर्मास एग्रेसिटीज एव चिटस
आगरा क्षेत्र, आगरा

03/10/28



AG-57649

आदेश का क्रम

आवेदन का क्रम 57649 - 22/11/21 (अच)

आव दिनांक 26/08/25 एवं 2025-26

प्रति-आदेश की प्रतः

प्रति-आदेश की प्रतः
प्रति-आदेश की प्रतः